:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर(म0प्र0) ::

क्रमांक/ 3595/डी0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2020 इन्दौर, दिनांक 29 सितम्बर, 2020

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

(टेन्ट संचालकों के संबंध में)

विषय – विधानसभा क्षेत्र सांवेर–211 में विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान टेन्ट संचालकों द्वारा कोविड–19 के दिशा निर्देशों की सीमा में ही टेन्ट किराए पर देने बाबत्।

सांवेर–211 विधानसभा उप चुनाव–2020 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । सांवेर विधानसभा उप निर्वाचन–2020 के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार संबंधी प्रतिबंध हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए है, जिसमें उल्लेख है कि चुनावी सभाए–सार्वजनिक सभाएं मौजुदा कोविड़–19 हेतु दिशा–निर्देश के पालन करते हुए आयोजित किए जाए। चुनावी सभाओं हेतु टेंट हाऊस संचालकों द्वारा टेंट उपलब्ध कराये जाते है, सांवेर विधानसभा अंतर्गत सभाओं हेतु टेंट जिले के अन्य क्षेत्रों के टेंट संचालकों द्वारा भी प्रदाय किए जावेंगे ।

अतः मैं, **मनीष सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1979 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण इंदौर जिले के क्षेत्र अंतर्गत टेंट संचालको हेतु निम्नानुसार प्रतिबंध लगाता हूँ :–

1. **विधानसभा उप निर्वाचन हेतु चुनावी सभाए कोविड–19 के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत आयोजित की जानी है, केन्द्र शासन के कोविड़–19 के दिशा निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि राजनैतिक सभा में अधिकत्म 100 व्यक्ति ही भाग ले सकेगें। टेंट संचालकों के द्वारा एक स्थान पर सभा हेतु केवल इतना टेंट ही किराये पर लेना चाहिए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 100 लोगों की सभा के लिए पर्याप्त हो।**

2. **राजनैतिक अथवा अन्य कार्यकर्मो के लिए टेंट किराये पर देते समय यह भी सुनिश्चित करें कि सभा हेतु टेंट लेने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा सभा हेतु सक्षम प्राधिकारी से सभा की अनुमति प्राप्त कर ली है।**

District Magistrate
District Indore (M.P.)

3. क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित का उल्लंघन किसी भी समय किया जाता है तो टेन्ट संचालक के विरूद्ध इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप दण्डात्मक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जावेगी एवं समस्त टेन्ट सामग्री जब्त की जा सकेगी।

चूंकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1979 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रतिबंद्धों को पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा एवं संबंधित टेंट संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 /09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
District Magistrate
जिला दण्डाधिकारी
District Indore (M.P.)
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक/ 3596/री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2020 इन्दौर, दिनांक 29 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।

11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /भिचौली हप्सी/कनाड़िया/खुड़ैल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना, जिला इन्दौर ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate
District Indore (M.P.)